सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 292/21 दिनांक- 19 जून 2021

प्रेस नोट

साइबर थाना

साइबर ठगो द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएसपी) रेजिस्ट्रेशन की फर्जी वेबसाईट बनवाकर लोगो से धोखे से खातों में लाखों रुपये जमा कराकर साइबर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 08.09.2020 को वादी श्री संदीप कुमार निवासी पवई आजमगढ़ ने साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ में सूचना दिया कि साइबर ठगो ने www.cspbankmitraservice.com वेबसाईट के माध्यम से ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएसपी) खोलने हेतु एसबीआई खाते में 2 ,21,600/- रु0 जमा करा लिए है। वादी के सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 01/2020 धारा 419, 420 भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त अपराध के सफल अनवारण हेतु उच्चाधिकारियो के निर्दे शानुसार तकनीकी संसाधनो का प्रयोग करते हुए विवेचना के मध्य प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तो उक्त अभियोग की विवेचना से अभियुक्त 1. रमें श कुमार पुत्र गनौरी राम निवासी ग्रा म अन्दी थाना अस्थांवा जिला नालन्दा बिहार 2. सीसु रंजन कुमार पुत्र गनौरी राम निवासी ग्राम अन्दी थाना अस्थांवा जिला नालन्दा बिहार 3. सोनू कुमार पुत्र बन्धन राम निवासी नौरंगा थाना बिन्द जिला नालंदा बिहार (हा0प0 मोहब्बतपुर थाना शेखूपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार) 4. जितेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी मोहब्बतपुर थाना शेखूपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार प्रकाश में आये जिनके द्वारा मिलकर साइबर ठगी की गयी।

प्रकाश में आये अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु **पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़** से नालन्दा बिहार जाने हेतु परमी शन प्राप्त कर साइबर क्राइम थाना टीम द्वारा दिनांक 17.06.2021 को समय 23 .00 बजे अभियुक्त रमें श कुमार पुत्र गनौरी राम निवासी ग्राम अन्दी थाना अस्थांवा जिला नालन्दा बिहार को नालन्दा से गिरफ्तार कर ट्राजिंट रिमांड लेकर मा0 न्यायालय आजमगढ़ के समक्ष पे श कर जेल भेजा गया । अन्य प्रकाश में आये अभियुक्त रात्रि का फायदा उठाकर फरार हो गये है जिनकी रिफ्तारी का प्रयास किया जा रहा हैं।

अपराध करने का तरिका

अभियुक्त रमेश कुमार से गहनता से पूछतांछ किया गया तो बताया कि मै और मेरे गैंग के सदस्य कोलकाता के डीलरो से बनी हुई फर्जी वेबसाईट 30,000 रुपये महीने किराये पर लेते है जिसपे अपना नम्बर कस्टमर केयर के लिए फीड कराते है। जब लोग वेबसाईट पर जाकर ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएसपी) लेने के लिए रजिस्ट्रे शन एंव काल करते है तो रजिस्ट्रे शन शुल्क एंव सीएसपी की लिमिट बढाने के नाम पर लोगो से अपने विभिन्न बैंक खातो में पैसा जमा कराकर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं।

अभियुक्तो का विवरण

1- रमेंश कुमार पुत्र गनौरी राम निवासी ग्राम अन्दी थाना अस्थांवा जिला नालन्दा बिहार **(गिरफ्तार)**

वांछित अभियुक्तगण

1- सिसु रंजन कुमार पुत्र गनौरी राम निवासी ग्राम अन्दी थाना अस्थांवा जिला नालन्दा बिहार (वाछिंत)

2- सोनू कुमार पुत्र बन्धन राम निवासी नौरंगा थाना बिन्द जिला नालंदा बिहार (हा0प0 मोहब्बतपुर थाना शेखूपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार) (वाछिंत)

3- जितेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी मोहब्बतपुर थाना शेखूपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार (वाछिंत)

अभियोग का विवरण

1- मु0अ0सं0 01/2020 धारा 419, 420 भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़

गिरफ्तारी टीम

1- निरीक्षक श्री राजेश यादव, प्रभारी साइबर थना आजमगढ

2- का0 मनीष सिंह, साइबर थाना आजमगढ़

3- का0 एजाज खां साइबर थाना आजमगढ़

4- का0 महिपाल यादव, साइबर थाना आजमगढ़

5- का0 संजय कुमार, साइबर थाना आजमगढ़